सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 291
06/04/2017

आगामी 08 अप्रैल 2017 को पूर्वाह्न 08:00 बजे से शुरु होगी लोक अदालत की कार्रवाई

- प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक पदाधिकारी सहित दो अधिवक्ता होंगे
- आपसी समझौतें के आधार पर होगा मामलों का निष्पादन

पटना, 06 अप्रैल 2017 :– डी0पी0आर0ओ0, मुँगेर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में कल शनिवार (08 अप्रैल 2017) को स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित ए0डी0आर0 भवन में पूर्वाह्न 08:00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसके सफल आयोजन की तैयारी व्यापक स्तर पर की गई है। लोक अदालत में पक्षकारों की आपसी सहमति से अलग–अलग विभागों के विविध मामलों का निष्पादन किया जायेगा।

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में विविध मामलों के निष्पादन हेतु गठित प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक पदाधिकारी सहित दो अधिवक्ता होंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्राधिकार की अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुषमा सिन्हा ने न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों सहित बैंक एवं बीमा संस्थानों के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के इस आयोजन में मुकदमा पूर्व लंबित वाद, शमनीय वाद, एन0आई0 एक्ट की धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, न्यायाधिकरण वाद, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण विवाद, राजस्व मामले, विद्युत तथा पानी बिल संबंधित विवाद, वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधितमामले, अन्य दीवानी वाद मामलों का निष्पादन दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किया जायेगा।

जिला लोक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरुप श्रीवास्तव ने बताया कि अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन हो, इसके लिए प्राधिकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है तथा लोगों को इसके सफल आयोजन हेतु विभिन्न विभागों/संगठनों के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं के सक्रिय सहायोग की अपेक्षा की जा रही है, ताकि न्यायालय में ऐसे लंबित मामलों का बोझ कम हो और लोगों को भी सुलभ एवं सस्ता न्याय प्राप्त हो सकें।

....